RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 01
अंक : 345
दि. 18.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लोकसभा में 298-230 से गिरा, 12 साल में पहली बार मोदी सरकार नाकाम

(जीएनएस)।

मोदी सरकार 12 साल (2014-2026) बाद लोकसभा में पहली बार कोई बड़ा बिल पास नहीं करा पाई। महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से पहले लागू करने के लिए लाया गया संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 21 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वोटिंग में 298-230 के अंतर से गिर गया। 528 सांसदों ने वोट डाले। पास होने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत (352 वोट) नहीं जुटा। बिल 54 वोट से फेल हो गया।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि अब बाकी दो बिल (परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन) आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। यह सब संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र (16-18 अप्रैल) के दौरान हुई, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को तेजी से लागू करने के लिए बुलाया गया था। बिल क्यों गिरा? मोदी सरकार की हार के 6 बड़े कारण क्या थे? आइए विस्तार से समझते हैं...

1. दो-तिहाई बहुमत की सख्त शर्त पूरी नहीं हुई

संविधान संशोधन बिल के लिए लोकसभा में कुल सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत जरूरी था। लोकसभा की 543 सीटों में 3 खाली होने से 540 सांसद बचे। लेकिन वोटिंग के समय 528 मौजूद थे। दो-तिहाई का आंकड़ा 352 था।

एनडीए के पास करीब 293 सांसद हैं। बिल के पक्ष में 298 वोट आए, यानी कुछ छोटे सहयोगी दलों या निर्दलीयों का समर्थन मिला, लेकिन पर्याप्त नहीं। विपक्ष ने 230 वोटों से मजबूत मुकाबला किया। अमित शाह ने एक घंटे की स्पीच में आश्वासन दिए, फिर भी आंकड़े साथ नहीं दिए। यह पहला मौका था, जब सरकार को बहुमत का गणित समझ नहीं आया।

2. विपक्ष का अभूतपूर्व एकजुटता और ब्लॉक वोटिंग

INDIA गठबंधन (कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी आदि) ने बिल को 'महिलाओं का बहाना, चुनावी मैप बदलने की साजिश' बताया। राहुल गांधी ने सदन के बाहर कहा, 'हमने विधेयक को हरा दिया। यह महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं, देश की चुनावी संरचना बदलने का प्रयास था।'

विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि बिल 2011 जनगणना पर आधारित परिसीमन को दरकिनार कर रहा था। इससे दक्षिण के राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र) का प्रतिनिधित्व घट सकता था। विपक्षी सांसदों ने 'अगर-मगर' नहीं किया, पूरे 230 वोट एकजुटता से विरोध में पड़े। केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी जैसे नेता पहले ही बिल को 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' बता चुके थे।

3. दक्षिणी राज्यों की गहरी आशंका और उत्तर-दक्षिण विभाजन का नैरेटिव

बिल का मुख्य प्रावधान था कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना, बिना नई जनगणना के परिसीमन शुरू करना। सरकार ने अमित शाह के जरिए आश्वासन दिया कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी, दक्षिण को कोई नुकसान नहीं।

फिर भी DMK, कांग्रेस (दक्षिण) और तेलंगाना-आंध्र के सांसदों ने विरोध किया। उनका तर्क था कि 1976 से सीटें फ्रीज हैं। नई जनगणना के बिना परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्य सजा पाएंगे। शाह ने तमिलनाडु का उदाहरण देकर कहा कि 13 सीटें महिलाओं को मिलेंगी, लेकिन विपक्ष ने इसे 'कागजी आश्वासन' करार दिया। इस नैरेटिव ने दक्षिणी सांसदों को एकजुट किया और बिल के खिलाफ वोट बढ़ाए।

4. 'चुनावी मैप बदलने का राजनीतिक आरोप' और विश्वास की कमी

विपक्ष ने बिल को 'महिलाओं का इस्तेमाल' बताया। राहुल गांधी ने कहा, '2029 चुनाव से पहले सीटें बढ़ाकर उत्तर का दबदबा बढ़ाना चाहते हैं।' विपक्ष का आरोप था कि 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम जनगणना-परिसीमन के बाद लागू होना था, लेकिन सरकार अब इसे 'बायपास' कर रही है।

12 साल के शासन में मोदी सरकार का यह पहला फेलियर था। विपक्ष ने इसे 'सत्ता की हताशा' बताया। कई छोटे दलों ने भी क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में अपील की कि 'महिलाओं की राह का रोड़ा कौन है, देश देख रहा है', लेकिन विपक्ष ने इसे 'राजनीतिक प्रेशर' माना। नतीजा ये हुआ कि 230 मजबूत वोट बिल के विरोध में गिरे।

5. NDA के मैनेजमेंट की खामी?

महिला आरक्षण संशोधन बिल पर लोकसभा में जो तस्वीर सामने आई, उसने एनडीए के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। बिल के पक्ष में सिर्फ 298 वोट आना यह दिखाता है कि सरकार अपने सहयोगी दलों को पूरी तरह एकजुट नहीं कर पाई। जब 2/3 बहुमत की जरूरत थी, तब यह कमी साफ नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार ने खुद जरूरी समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की थी।

खासकर तब, जब 2023 में यही बिल पास हो चुका था और इसे लेकर पहले से एक सहमति बनी हुई थी। इस बार की स्थिति थोड़ी अलग रही। लोकसभा में मुद्दा तो उठाया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए वैसी राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखी, जैसी आमतौर पर बड़े विधेयकों के समय देखने को मिलती है। न तो सहयोगी दलों के साथ मजबूत तालमेल दिखा और न ही विपक्ष को साधने की कोई खास कोशिश नजर आई।

दिलचस्प बात यह भी रही कि बिल को बिना ज्यादा संघर्ष के गिरने दिया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि या तो रणनीति अधूरी थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था।

6. हार में भी जीत की रणनीति, बाजीगर बनी BJP?

5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई, जिसने राजनीतिक चर्चा को नया मोड़ दे दिया।

49 दिन बाद खुल गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान ने किया ऐलान

(जीएनएस)।

ईरान के विदेश मंत्री अुं२ अ१ॅं ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब युद्धविराम की बची हुई अवधि तक "पूरी तरह खुला" रहेगा। इसका मतलब है कि दुनिया भर के सभी कमर्शियल जहाज बिना किसी रुकावट के इस अहम समुद्री रास्ते से गुजर सकेंगे। अराघची ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए साझा की।

कैसे बनी बात?

अराघची ने अपने पोस्ट में साफ लिखा कि यह फैसला लेबनान में चल रहे युद्धविराम के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने कहा, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग को युद्धविराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है।" साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जहाज उसी तय मार्ग से गुजरेंगे, जिसकी घोषणा पहले ही ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन द्वारा की जा चुकी है।

यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से

रोजाना वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और ग्लोबल ट्रेड पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए इसका खुला रहना सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है।

पिछले 2-3 हफ्तों में क्या रहा हाल?

पिछले 2-3 हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि वर उील्ल३१' उड्ढेंल्ल की तरफ से क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां तेज कर दी गई थीं। वहीं, ईरान ने भी कुछ जहाजों को रोकने और जांच करने की कार्रवाई की थी, जिससे व्यापारिक जहाजों में डर का माहौल बन गया था। कुछ मामलों में जहाजों को वापस लौटने के लिए भी मजबूर होना पड़ा।

हाल ही में हुए युद्धविराम के बाद दोनों पक्षों ने तनाव कम करने के संकेत दिए हैं। ईरान का यह फैसला उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 99वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के जननायक स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 99वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया और दिवंगत नेता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह एक दूरदर्शी नेता, निडर सांसद और लोकतांत्रिक मूल्यों के अडिग समर्थक थे।

योगी सरकार 1008 श्रद्धालुओं को कराएगी सोमनाथ यात्रा, लखनऊ से 19 अप्रैल को जाएगी विशेष एसी ट्रेन

(जीएनएस)।

लखनऊ : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 19 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से एक विशेष एसी ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना होगी. यात्रा में उत्तर प्रदेश के युवा प्रोफेशनल्स, एमबीए स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एमएसएमई और तकनीकी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं.

समाज के हर वर्ग की भागीदारी भी देखने को मिलेगी. हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदारों से लेकर महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गिग वर्कर्स तक सभी इसमें शामिल हैं. प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए कुल 1008 यात्री इस विशेष यात्रा का हिस्सा होंगे. यह सभी 'अटूट आस्था के 1000 वर्ष' कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोमनाथ जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को हरी झंड़ी दिखा सकते हैं.

हर वर्ग के लोग यात्रा में होंगे शामिल : इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, वॉलंटियर्स, युवा प्रतिभाओं, गैर-तकनीकी क्षेत्र के सफल व्यक्तियों, अखाड़ों, शिव मंदिरों और आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को भी इस पहल का हिस्सा बनाया गया है. सीमावर्ती गांवों के निवासी, प्रदेश के कलाकार, पोस्टमैन, रेलवे स्टाफ, सफाई कर्मचारी और ड्राइवर जैसे सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि यह पर्व भारत की आस्था, संस्कृति और आत्मगौरव का प्रतीक है, जिसे जन-जन की सहभागिता के साथ मनाया जा रहा है.

सात नदियों का जल लेकर सोमनाथ पहुंचेंगे श्रद्धालु : यात्रा के दौरान श्रद्धालु प्रदेश की सात पवित्र नदियों का जल अपने साथ लेकर जाएंगे. 21 अप्रैल को सोमनाथ पहुंचने के बाद वे महाआरती, रुद्राभिषेक, भजन संध्या, प्रवचन और लाइट एंड साउंड शो जैसे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इन आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ने का

मौका मिलेगा.

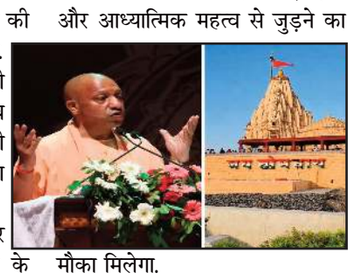

भारत सरकार के सहयोग से आयोजित यह पर्व पूरे देश में वर्ष भर मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 'सोमनाथ स्वाभिमान' विषय पर आधारित बुकलेट का वितरण भी किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास, उसके पुनर्निर्माण और भारतीय संस्कृति की अटूट शक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. यह आयोजन आस्था, एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मन्दिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है. इसे 'सौराष्ट्र सोमनाथं च' कहकर सर्वोच्च स्थान दिया गया है. उन्होंने बताया, इतिहास में अनेक बार आक्रमण और विध्वंस के बावजूद यह मन्दिर बार-बार पुनर्निर्मित हुआ, जो भारतीय सभ्यता की अदम्य शक्ति और पुनरुत्थान की भावना का प्रतीक है.

डेवलेप गोवा 2037 सम्मेलन में शामिल हुईं महापौर सुषमा खर्कवाल कहा वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य के सापेक्ष विकसित हो रहा लखनऊ

लखनऊ। (जीएनएस)। पणजी में आयोजित ह्लडेवलेप गोवा 2037 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी शामिल हुईं।

महापौर ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब देश के शहर मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के अनुमान में शहरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि शहर ही आर्थिक गतिविधियों, रोजगार, नवाचार और निवेश के केंद्र बनते जा रहे हैं।

तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए शहरों को स्मार्ट, सतत और समावेशी बनाना आवश्यक है। इसके लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता, जल प्रबंधन और

डिजिटल सेवाओं को मजबूत करना होगा, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल विकास को प्राथमिकता देनी होगी।

महापौर ने कहा कि लखनऊ को वर्ष 2047 की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। ह्लखनऊ-एससीआरह्न की अवधारणा पर कार्य हो रहा है, साथ ही ग्रीन कारिडोर, आउटर रिंग रोड कनेक्टिविटी और आधुनिक शहरी योजना के माध्यम से ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि शहर में दो हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है।

लखनऊ को जीरो वेस्ट सिटी बन चुका है और प्रतिदिन लगभग दो हजार मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण हो रहा है। लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के साथ ही भविष्य में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर था हिंदू रक्षा दल कार्यालय और दिल्ली-6 मॉल, खुलासा

लखनऊ , (जीएनएस)। पाकिस्तान हैंडलर्स के इशारे पर देश में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रचने वाले चार संदिग्ध आतंकियों के मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंदू रक्षा दल के कार्यालय और राजनगर एक्सटेंशन के दिल्ली-6 मॉल को विस्फोट व आगजनी के लिए टारगेट बनाया था। दोनों स्थानों की रेकी कर वीडियो और फोटो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे।

एटीएस ने 2 अप्रैल को लखनऊ से मेरठ निवासी साकिब, अरबाब, लोकेश और विकास को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहकर देशविरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहे थे। मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लोकेशन शेयरिंग के साक्ष्य मिले हैं। जिनसे पता चला कि जब आरोपियों ने इन दोनों स्थानों के वीडियो, फोटो आदि पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे, तब उनकों इसके एवज में 13 हजार रुपये मिले थे। यह रकम विकास द्वारा दिए गए क्यूआर कोड पर ट्रांसफर की गई। सूत्रों के मुताबिक विकास ने अपने जीजा के खाते में यह रकम मंगवाई थी।

राहुल गांधी पर लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी मुश्किलें

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की आदेश जारी किया गया है। दोहरी नागरिकता मामले में यह एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश ने कांग्रेस सांसद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश जारी होने के बाद एक बार फिर यह मामला गरमा गया है। कोर्ट में दायर अर्जी में ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल, राहुल गांधी के रायबरेली से सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता रखने का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं।

सीबीआई जांच की मांग

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। निचली अदालत में राहुल गांध के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट में यूपी सरकार की

ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। सरकार के वकील की बात पर जस्टिस ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करके इसे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी।

याचिकाकर्ता का है बड़ा दावा

राहुल गांधी के खिलाफ विग्नेश शिशिर की ओर से याचिका दायर की गई। इस मामले में हाई कोर्ट बेंच में विस्तार से सुनवाई हुई। मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर से पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया गया है कि दाखिल हलफनामा उनके आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कोर्ट में उन्होंने अहम साक्ष्य पेश किए हैं।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाई कोर्ट में पेश कीं। मामले में याचिका दायर करने वाले विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूके यानी इंग्लैंड के मतदाता रहे हैं।

वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।

एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती

दरअसल, इस वर्ष 28 जनवरी को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश आया था। निचली कोर्ट ने रायबरेली कोतवाली थाना को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था। दरअसल, निचली अदालत में क्रिमिनल एप्लीकेशन के रूप में दाखिल की गई थी। निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसे हाई कोर्ट ने मान लिया है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ ऑफिशियज सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं।

सम्पादकीय

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गम्भीर संकट

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता टोक्यो में आयोजित एज़ेडईसी-प्लस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विश्वभर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि समुद्री रास्ते केवल व्यापार के साधन नहीं हैं बल्कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत का यह रुख उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों में किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत ने इस मंच पर सुरक्षित और निर्बाध समुद्री परिवहन को अत्यंत आवश्यक बताया। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि हाल के वर्षों में कई समुद्री क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष की स्थितियां बनी हैं, जिनका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ा है। व्यापारिक जहाजों पर हमले न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं बल्कि वे वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा हैं। एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हमलों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ कड़े वैश्विक प्रयास जरूरी हैं। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर भी भारत ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। आज के समय में ऊर्जा केवल आर्थिक विकास का आधार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यदि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो इसका प्रभाव उद्योगों, परिवहन और रोजमर्रा के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ता है। इस संदर्भ में भारत ने साझेदारी और सहयोग के जरिए ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित और स्थिर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया, जिनमें अनवर इब्राहिम और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शामिल थे। इन नेताओं ने भी ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों पर अपने-अपने विचार साझा किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और ऊर्जा के विविध स्त्रोतों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तरलीवृत प्रावृतिक गैस यानी एलएनजी के उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से मलेशिया क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

मेजर 'शैतान' सिंह और 'छोटू' राम के नाम अब अपमान हो गए! स्कूली पढ़ाई सुधारोगे या सिर्फ बच्चों के नाम बदलोगे?

(जीएनएस)।

राजस्थान शिक्षा विभाग का सार्थक नाम अभियान विवादों में है. विभाग का मानना है कि 'टिंकू, शैतान, कालू' जैसे नामों से बच्चों का आत्मविश्वास गिरता है, इसलिए वह 3000 'सार्थक' नामों की लिस्ट सुझा रहा है. हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सम्मान नाम से नहीं, काम से मिलता है; जैसे परमवीर मेजर शैतान सिंह और सर छोटू राम. सवाल है कि विभाग पढ़ाई और शिक्षकों की स्थिति सुधारने के बजाय नाम बदलने में क्यों उलझा है?

राजस्थान सरकार की पॉलिसी विवादों में है.

नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर का यह मशहूर जुमला आज राजस्थान के गलियारों में नई बहस छेड़ चुका है. एक तरफ वो वीरधरा है जिसने 'शैतान सिंह' जैसे परमवीर पैदा किए तो दूसरी तरफ सरकार का 'सार्थक नाम अभियान' है जो कहता है कि 'शैतान' या 'टिंकू' जैसे नाम बच्चों के आत्मविश्वास को कम कर देते हैं. राजस्थान का शिक्षा विभाग अब स्कूलों में बच्चों के नाम सुधारने की लिस्ट बांट रहा है लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या शिक्षा विभाग का काम नाम बदलना है या स्कूलों की बदहाल शिक्षा को दुरुस्त करना? राजस्थान शिक्षा विभाग का मानना है कि 'बबलू, छोटू, कालू, गोबरी या शैतान' जैसे नाम 'निरर्थक' और 'नकारात्मक' हैं, जिनसे बच्चों का मजाक उड़ता है. इसके बदले विभाग ने 3000 से ज्यादा 'सार्थक' नामों की एक सूची जारी की है, जिसमें 'आरव, अथर्व और आराध्या' जैसे नाम सुझाए गए हैं. सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों में गौरव की अनुभूति होगी.

जारी कर दी नाम की लंबी लिस्ट

यहां शहरों के नाम की बात नहीं हो रही. बच्चों के नाम क्या होने चाहिएं ये बात रही है सरकार. राजस्थान का शिक्षा विभाग कह रहा है कि शेरू, शैतान, कालू, टिंकू, छोटू, बबलू, कचूम्बर, धापा, गोबरी, बावरी जैसे नाम बच्चों के नहीं होने चाहिए. ऐसे नामों की वजह से बच्चे स्कूल में मजाक का शिकार हो जाते हैं और उन्हें शर्मिंदगी होती है. और बड़ा होने पर उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है. कहा गया कि नाम सार्थक होना चाहिए ताकि बच्चा गर्व महसूस करे. वो तो ठीक है लेकिन पब्लिक तो पहले ये देख रही है कि शिक्षा विभाग ये सब भी करता है क्या? सरकार कह रही है जबरदस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ.नाम बदलने के लिए नए नाम सुझाएंगे. जी. नाम सरकार सुझाएगी. सार्थक नामों की लिस्ट बनाई है सरकार ने. लड़कों के 1409 नाम और लड़कियों के 1541 नामों की लिस्ट बनाई है. इनमें कोई नाम चुन लो. आरव रख लो, अथर्व रख लो, अखंड रख लो, बालमुकुंद रख लो, बद्रीनाथ रख लो, आराध्या रख लो, अन्नपूर्णा रख लो, वैष्णवी रख लो.

कह रहे हैं ये सम्मानजनक नाम है. तो क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों का आत्मविश्वास इसलिए कम होता है क्योंकि उनके माता-पिता ने उनका नाम टिंकू रख दिया. बबलू रख दिया? पढ़ाई अच्छी हो जाएगी सरकारी स्कूलों में तो आत्मविश्वास अपने आप नहीं बढ़ जाएगा. जब बच्चा काबिल बन जाएगा और दुनिया में कुछ कर के दिखाएगा किसी क्षेत्र में तो उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ जाएगा. शिक्षा विभाग के अधिकारी पढ़ाई बहतर करवाने के लिए कुछ करें वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? टीचर आ

राजस्थान सरकार की पॉलिसी विवादों में है. (AI Image)

रहे हैं या नहीं आ रहे, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, कॉपी किताब मिल पा रहे हैं, बच्चों को या नहीं मिल पा रहे. ये सब हो गया क्या कि शिक्षा विभाग नामों की लिस्ट बना कर दे रहा है कि बच्चों के नाम ये रखने चाहिएं.

टीचर माता-पिता से बात कर देंगे सुझाव

अगर संस्कार की ही बात है तो वो मां-बाप ही तय करते हैं ना. उनका बच्चा है वो नाम देते हैं और बच्चे को पसंद नहीं अपना नाम तो बड़ा हो कर खुद बदल लेता है. कई लोग अपने नाम हाई स्कूल के सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने के टाइम बदल भी लेते हैं. क्योंकि फिर ज़िंदगी भर के लिए वो उनका नाम हो जाता है कागजों में. तो वो उनकी मजी ना. सरकार क्यों पड़ रही है इसमें? शिक्षा विभाग अपना काम करे ना. अगर बबलू का नाम आप अथर्व रखवा भी दोगे कागज पर तो बुलाएंगे तो उसको बबलू ही और क्या प्रॉबलम है उसमें? लेकिन कह रहे हैं स्कूल टीचर माता-पिता से बात करेंगे. अगर माता-पिता सहमत हों, तो बच्चे का पुराना नाम स्कूल रजिस्टर में बदलकर नया सार्थक नाम रखा जा सकता है. और नए एडमिशन वाले बच्चों के माता-पिता को भी ये लिस्ट दिखाई जाएगी, ताकि वो सरकार के हिसाब से जो अच्छा नाम है वो चुन सकें. हालांकि स्कूल किसी का नाम जबरदस्ती नहीं बदलेगा. माता-पिता की सहमति से ही नाम बदला जाएगा. कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं होगा. तो फिर क्यों? क्यों पड़ गया है फिर शिक्षा विभाग इस चक्कर में? और किसने कह दिया नाम से ही सम्मान होता है? सम्मान काम से होता है ना, व्यक्तित्व से होता है.

छोटू राम यूनिवर्सिटी का क्या करेंगे?

राजस्थान के बगल में ही हरियाणा है. कह दो वहा जा कर कि छोटू नाम में कोई सम्मान नहीं. कह के तो देखो. सबसे बड़े विचारक और समाज सुधारक हुए जो ना वहां से, उनका नाम था चौधरी राम रिछपाल ओह्लयान. लेकिन चौधरी राम रिछपाल ओहल्यान यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटू राम यूनिवर्सिटी है. छोटू राम चौक है, छोटू राम पावर स्टेशन है, छोटू राम कॉलेज है, बहुत कुछ है. क्योंकि उनको जानते ही सर छोटू राम के नाम से हैं. उनने मां-बाप को क्या बोलना था आपने? कि छोटू राम नाम ठीक नहीं है? जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन सार्थक बना दिया उनका नाम सार्थक नहीं है? किस टाइप की बहस है ये? क्यों बहस है ये? क्यों करना है ये सब? और हरियाणा छोड़ो, राजस्थान में ही आ जाओ. 1962 की भारत-चीन जंग के दौरान, लद्दाख के चूशुल इलाके में रेजांग ला नाम की जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी. वहां बर्फीली हवाएं चलती है, भयंकर ठंड होती है (-40) डिग्री तक की और हमारें सैनिकों के पास पुरानी बंदूकें थीं कहानी पता है ना आपको? सेना की चार्ली कंपनी के मजेर सिर्फ 120 जवानों के साथ इस ऊंचे दर्रे की रक्षा कर रहे थे. चूशुल में एयरफील्ड था, वहां तक पहुंचने से चीन की सेना रोकना था. कोई रिजर्व फोर्स नहीं थी, कोई और मदद नहीं मिल सकती थी उनको. सिर्फ. 120 थे. 18 नवंबर 1962 की सुबह, अंधेरे में अचानक हमला शुरू हुआ. 3000 से ज्यादा चीनी सैनिक पहाड़ी खाइयों से चढ़ते हुए आए. भारी तोपों, मोर्टार और मशीन गनों से बारिश जैसी गोलियां बरसने लगीं. मेजर ने हिम्मत नहीं हारी. वो एक पलटन से दूसरी पलटन तक दौड़ते रहे. गोलियों के बीच में, खुली जगह में.

मेजर शैतान सिंह सिंह की वीर गाथा

जवान चिल्लाते रहे, ह्मसर, आप कवर लो!ह्व लेकिन वो कहते रहे, कि ह्ममैं यहां हूं, लड़ो! पीछे नहीं हटेंगे!ह्व पहला हमला रोका और दुश्मन के सैकड़ों सैनिक ढेर कर दिए. फिर दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला हुआ. लेकिन हर एक भारतीय जवान ने 4-5 चीनी सैनिक मारे. ठंड इतनी थी कि हमारे हथियार जाम हो रहे थे, हाथ-पैर सुन्न पड़ गए थे. फिर भी हमारे जवान लड़ते रहे. हम 120, वो 3000. मेजर के पेट में गोली लगी. मेजर के हाथों में गोलियां लगीं. खून बहता जा रहा था. उनके जवान उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन दुश्मन ने मशीन गन चल दी. तब मेजर का आखिरी आदेश था कि ह्ममुझे छोड़ दो, खुद बचो और लड़ते रहो!ह्व सुबह तक लड़ाई चली. जब सब शांत हुआ, तो 114 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे. सिर्फ कुछ बच पाए. लेकिन रेजांग ला बच गया. चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ और उनका आगे बढ़ना रुक गया. पता है जवानों के शरीर कब मिले थे. तीन महीने बाद बर्फ. में जमे हुए, 13 कुमाउं बटैलियन के उन जवानों के शरीर जब मिले तो उनके हाथों में उनकी बंदूकें थीं. शरीर जमा हुआ था. हाथ में बंदूक थी. जैसा उनका मेजर था, वैसे मेजर के जवान थे. मेजर के पार्थिव शरीर के साथ भी उनका हथियार बंधा हुआ मिला था. आखिरी सांस तक लड़े थे मेजर. वीरता की ऐसी मिसाल पेश की थी जोधपुर से आने वाले मेजर ने कि उनको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था. आखिरी सांस तक लड़े, आखिरी गोली तक लड़े. वो भी राजस्थान के ही थे. उनकी वीरता की कहानी बच्चे-बच्चे को सुनानी चाहिए देश के. मेजर शैतान सिंह. शैतान नाम था उनका. मां-बाप ने रखा था. सम्मान नहीं है इस नाम में. राजस्थान के सबसे बड़े सपूत के नाम में सम्मान नहीं है? तो स्कूलों को ठीक कर दो, पढाई ठीक करवा दो, टीचर अच्छे रखवा दो, शिक्षा विभाग का जो काम है वो करो ना. नाम बदलने से नाम नहीं होगा. नाम तो बच्चे खुद कर देंगे राजस्थान का. काम ऐसा हो कि हर गांव से एक शैतान निकले, मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र. सौ बात की एक बात.

'देश के वफादार होंगे लेकिन...'सेना के जवानों पर कमेंट करने वाली इंफ्लूएंसर इशिता पुंडीर पर एफआईआर

हिमाचल प्रदेश की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर इशिता पुंडीर के भारतीय सेना पर दिए गए कथित विवादित बयान से बवाल मच गया है. माफी मांगने के बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी और संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

(जीएनएस)।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. सोलन-नाहन क्षेत्र की रहने वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर इशिता पुंडीर के खिलाफ भारतीय सेना को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई है.

'पत्नी के प्रति वफादारी पर सवाल'

आरोप है कि इशिता ने अपने एक वीडियो में कहा था कि सेना के जवान भले देश के लिए कितने भी वफादार हों लेकिन वह अपनी पत्नियों या

महिलाओं के प्रति वफादार नहीं होते. यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. बड़ी संख्या में लोगों ने इस टिप्पणी को सेना के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मामला बढ़ने के बाद इशिता पुंडीर ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और यदि उनके बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो वह इसके लिए खेद व्यक्त करती हैं. हालांकि, माफी के बावजूद विवाद थमता नहीं दिखा और शिकायत दर्ज कराई गई.

इशिता पुंडीर पर एफआईआर

यह शिकायत कांग्रेस के यादोपति ठाकुर ने एसपी सिरमौर को दी. अपने पत्र में उन्होंने इशिता के बयान को गंभीर बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदार पोस्ट को लेकर बहस छेड़ दी है.

एक मिलियन हैं इशिता के

बता दें कि इशिता पुंडीर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. उनके इंस्टाग्राम पर एक मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक और यूट्यूब पर भी उनकी बड़ी पहुंच है. ऐसे में उनके बयान का प्रभाव और अधिक व्यापक स्तर पर पड़ा, जिससे विवाद और गहरा गया. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

'एक छोटे लड़के' ने उड़ा दी पूरे भारत की नींद, दुनिया में भी बढ़ी हलचल

(जीएनएस)।

नई दिल्ली: एक छोटे बच्चे ने इन दिनों भारत समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। उसका यह 'खेल' सबको भारी पड़ने वाला है। 2026 में लोग इस छोटे लड़के की वजह से परेशान रहने वाले हैं। यह छोटा लड़का है 'अल नीनो', जिसे स्पेनिश में 'द लिटिल बॉय' कहा जाता है। इसके बारे में भारतीय मौसम विभाग (क्टऊ) ने भी चिंता जताई है। मौसम विभाग ने 2026 में मानसून के औसत से भी नीचे रहने का अनुमान जताया है। इसके पीछे यही छोटा लड़का यानी अल नीनो ही है, जो इन दिनों प्रशांत महासागर के एक छोटे से हिस्से में विकसित हो रहा है। इस बीच, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया था।

मौसम विभाग ने जताई अल नीनो की चिंता

भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2026 में जून से लेकर सितंबर तक मानसूनी बारिश औसत से भी कम हो सकती है, क्योंकि अल नीनो विकसित हो रहा है। अल नीनो एक ऐसी मौसमी परिघटना है, जिससे दुनिया के दूसरे हिस्से में बारिश कम होती है। सूखा पड़ता है। इससे फसलें खराब हो जाती है। दानें कम पड़ते हैं। कुल मिलाकर अन्न का उत्पादन कम रह सकता है।

क्या है यह अल नीनो, कहां बनता है

अल नीनो को 'द लिटिल बॉय' के साथ-साथ 'क्राइस्ट चाइल्ड' भी कहा जाता है। अल नीनो पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में होने वाली मौसमी परिघटना है, जिससे पर्यावरणीय चक्र गड़बड़ा जाता है और बारिश लाने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती है। इससे मानसूनी सीजन के दौरान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कम बारिश होती है। अल नीनो हर 2 से 7 साल के बीच विकसित होता है।

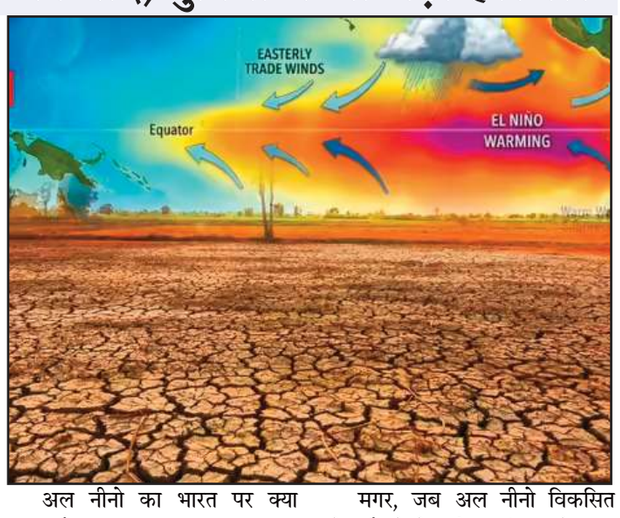

अल नीनो का भारत पर क्या पड़ता है असर

आम तौर पर महासागरों से गर्म हवाएं उठती हैं और अपने साथ पानी को सोखकर किसी दूसरे हिस्से में बारिश करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जुलाई से लेकर सितंबर तक भारी बारिश करती हैं।

मगर, जब अल नीनो विकसित होता है तो ये गर्म हवाएं कमजोर पड़ जाती है और ठंडी हो जाती है, जिससे ये पानी कम उठा पाती हैं। और इसका असर मानसून पर पड़ता है, जो कमजोर पड़ जाता है और बारिश कम होती है।

भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार मंच ने व्यापार और निवेश में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत किया

(जीएनएस)।

भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार मंच का आयोजन नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर, डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर की यात्रा के अवसर पर किया गया। ऑस्ट्रिया के अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मंत्री, वोल्फगैंग हाटमैन्सडॉर्फर ने भी इस मंच में भाग लिया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। इस मंच ने वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों, नीति-निमार्ताओं और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाकर व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के अवसरों का अन्वेषण किया।

मंच के दौरान एक द्विपक्षीय फास्ट-ट्रैक तंत्र (एफटीएम) पर हस्ताक्षर किए गए और उसे लागू किया गया। यह तंत्र भारत में ऑस्ट्रियाई कंपनियों और निवेशकों तथा ऑस्ट्रिया में भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है, जिससे निवेश को सुगम बनाया जा सके, समस्याओं का समाधान किया जा सके और उनके समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित किया जा सके। यह दोनों देशों में व्यवसाय करने में सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव साझा करने का भी एक मंच होगा, जो निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्यापार मंच ने भारत और ऑस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम चिह्नित किया। यह यात्रा चार दशकों से अधिक समय में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत-यूरोपीय संघ के व्यापक आर्थिक ढांचे में भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। दोनों पक्षों ने वर्तमान स्तर से परे द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने और औद्योगिक क्षमताओं, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर पूरकताओं का लाभ उठाने की मंशा व्यक्त की।

मंच में हुई चचाओं ने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के महत्व को रेखांकित किया, जो व्यापार की विस्तार, बाधाओं को कम करने और निवेश प्रवाह को सुगम बनाने में एक प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। मंच ने स्थायी विकास, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकियों को भविष्य के सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में भी चिह्नित किया। यह एफटीए श्रम-प्रधान क्षेत्रों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बेहतर बाजार पहुंच और सुधारित नियामक ढांचे के माध्यम से नए अवसर उत्पन्न करने की अपेक्षा रखता है।

सरकार और उद्योग से जुड़े हितधारकों ने प्रस्तावित समझौते के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसायों द्वारा सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उद्योग प्रतिनिधियों को इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि एमएसएमई और नवाचार-आधारित उद्यमों सहित व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत व्यापक आर्थिक आधारशिला और वैश्विक चुनौतियों के बीच उसकी लचीलापन क्षमता को उजागर किया। उन्होंने पुनःऔद्योगीकरण तथा उन्नत विनिर्माण और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने जैसे सुधारों की भूमिका को विकास के प्रमुख चालक के रूप में बताया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अवसरों की खोज करने और दीर्घकालिक संवाद के लिए व्यापार मंच को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर, महामहिम डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में एक उपलब्धि बताया और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में निरंतर वृद्धि को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि व्यापार लगभग 3 अरब यूरो तक पहुँच चुका है और लगभग 160 ऑस्ट्रियाई कंपनियाँ भारत में कार्यरत हैं। उन्होंने भारत की विकास यात्रा और एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उसके महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की क्षमता वाले भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की संभावनाओं को भी उजागर किया।

भारत-ऑस्ट्रिया व्यापार मंच ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव और भविष्य की संभावनाओं की पुनः पुष्टि की। समान प्राथमिकताओं, परस्पर पूरक ताकतों और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ, दोनों देश अपनी आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

कोयला मंत्रालय ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास तेज किए

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय ने आज 'आत्मनिर्भर भारतः ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला' विषय पर हितधारकों के परामर्श सत्र का आयोजन किया। इसके साथ ही वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 15वें दौर का भी शुभारंभ किया गया। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पूरे दिन चले इस परामर्श सत्र में नीति निमार्ताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने हिस्सा लिया, जिसमें सुधारों, तकनीकी प्रगति, कोयला गैसीकरण, स्थिरता और समावेशी विकास पर चर्चा की गई, जो भारत के कोयला क्षेत्र के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिरिक्त सचिव एवं नामित प्राधिकरण सुश्री रूपिंदर बरार, कोयला नियंत्रक श्री सजीश कुमार एन, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा कोयला क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारक भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री

विक्रम देव दत्त ने वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वें दौर की नीलामी का शुभारंभ किया। 15वें चरण में कुल 11 कोयला ब्लॉक पेश किए जा रहे हैं, जिनमें 7 पूर्ण रूप से अन्वेषित और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। इनमें से 3 खदानें कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 (सीएमएसपी) के तहत और 8 खदानें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) के तहत पेश की जा रही हैं। इसमें 1 कोकिंग कोयला ब्लॉक शामिल है, जबकि शेष 10 गैर-कोकिंग कोयला ब्लॉक हैं, जो इस्पात और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त, 13वें चरण के दूसरे प्रयास के तहत 6 कोयला खदानें भी पेश की जा रही हैं।

नीलामी के लिए प्रस्तुत खदानें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कोयला/लिग्नाइट समृद्ध राज्यों में स्थित हैं, जिनसे बड़े निवेश आकर्षित होने, घरेलू कोयला उपलब्धता बढ़ने और रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

अब तक, कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदानों की 13 चरणों की नीलामी के माध्यम से सफलतापूर्वक 135 कोयला खदानों की नीलामी की है, जिनकी कुल 'पीक रेटेड कैपेसिटी' (पीआरसी) लगभग 325 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। यह भारत की कोयला क्षमता को उजागर करने की दिशा में मजबूत गति को दर्शाता है।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि कोयला क्षेत्र में किए गए संरचनात्मक सुधार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिनमें पारदर्शिता, दक्षता और क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को उभारने पर निरंतर ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था की शुरूआत इस क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी कदम साबित हुई, जिसने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने और घरेलू उद्योगों के लिए कोयले की उपलब्धता में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। अब तक हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं, जिनमें अधिक संख्या में खदानों की नीलामी, निवेशकों की बढ़ती रुचि और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं का सुदृढ़ होना शामिल है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि नीलामी के हर अगले चरण में भागीदारी लगातार बढ़ी है, जो हितधारकों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, उन्होंने प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के बीच समन्वित और सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

यूपी के लिए 29 अप्रैल ऐतिहासिक दिन, दो बड़े कानपुर-लखनऊ व गंगा एक्सप्रेस-वे का होगा लोकार्पण, पीएम मोदी आएंगे

उन्नाव। (जीएनएस)। जनपद में 105 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं अब इस एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। गंगा एक्सप्रेस-वे के साथ ही नवनिर्मित कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के भी लोकार्पण की संभावना जताई जा रही है।

दोनों ही एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संभावित लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जनपद से भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाए जाने के लिए चार्ट बन चुका है। गंगा एक्सप्रेस-वे के असिस्टेंट जनरल मैनेजर पुष्पद के अनुसार फिलहाल कोई लिखित सूचना नहीं आई है। मौखिक के आधार पर हमलोग 29 अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेस वे जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, नेशनल हाइवे कानपुर-लखनऊ व कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे जंक्शन के माध्यम से लिंक है। जिससे संबंधित मार्गों का यातायात गंगा एक्सप्रेस वे पर और गंगा एक्सप्रेस वे का यातायात इन मार्गों पर तय स्थानों से चढ़ उतर सकता है इससे तीनों मार्गों के लगभग एक लाख वाहनों को सुविधा होगी।

राह होगी आसान

गंगा एक्सप्रेस-वे जिले के रास्ते होते हुए रायबरेली, प्रतापगढ़ होकर प्रयागराज जा रहा है। इसका निर्माण मेरठ से शुरू हुआ जो विभिन्न जिलों से होते हुए हरदोई तक और फिर हरदोई से बांगरमऊ, सफीपुर, हसनगंज, सदर, पुरवा और बीघापुर तहसीलों के गांव से होते हुए सीधे रायबरेली जिले को जा रहा है।

यहां से लिंक है एक्सप्रेस वे, यातायात को होगी सहूलियत

गंगा एक्सप्रेस-वे की मेरठ से प्रयागराज के बीच कुल लंबाई 594 किमी की है। एक्सप्रेस-वे जनपद में सबसे लंबा 104.8 किमी का है। जिले से ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और कानपुर-लखनऊ राजमार्ग भी निकला है। वहीं, एलीवेटेड कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे अलग रूट से निकल रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे तीनों को क्रास करेगा।

इन मार्गों पर उतर या चढ़ सकते

हरदोई और उन्नाव की सीमा के बीच में आगरा एक्सप्रेस-वे पर जंक्शन वहीं पर बन चुका है। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर सोनिक के पास जंक्शन बनकर तैयार हो चुका है। वहीं नवनिर्मित एलीवेटेड कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर नेवरना में एक जंक्शन बना है। इन जंक्शन से गंगा एक्सप्रेस-वे के वाहन अथवा इन मार्गों का यातायात संबंधित मार्गों पर चढ़-उतर सकेंगे। बांगरमऊ के टिकरिया के पास अंडरपास बन चुका है।

एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित किया जा रहा 248 हेक्टेयर का औद्योगिक गलियारा

जनपद में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे सदर तहसील के बिछिया ब्लाक क्षेत्र के गांव सराय कटियान में दो फेस में जिसमें पहला 132 तो दूसरा 116 कुल 248 हेक्टेयर के अंतर्गत तैयार किया गया औद्योगिक गलियारा भी विकास से संतृप्त किया जा रहा है। जहां अब तक दो विदेशी कंपनियों ने अपने उद्यम लगाए जाने की शुरूआत कर दी है। वहीं अन्य पांच कंपनियां प्रक्रिया के तहत लाइन में है।

गंगा एक्सप्रेस-वे : तहसीलवार गांवों की संख्या

तहसील	गांवों की संख्या
पुरवा	4
बांगरमऊ	11
बीघापुर (पाटन)	19
हसनगंज	7
सदर	15
सफीपुर	20

एक्सप्रेस-वे की खास बातें

कुल 1314.970 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया

उन्नाव क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 625 करोड़ रुपये

छह लेन का गंगा एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है

एक्सप्रेस-वे की ऊंचाई लगभग 8 से 10 मीटर रखी गई है

दोनों ओर 130 मीटर चौड़ाई तक भूमि अधिग्रहण किया गया

करीब 70 से 80 हजार किसानों की भूमि अधिगृहीत हुई

गंगा एक्सप्रेस वे व कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे दोनों के प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण की संभावना बनी है। इसके लिए जिले से भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।

- गौरांग राठी-डीएम

45 मिनट में पूरा होगा लखनऊ से कानपुर का सफर, कितना देना होगा टोल?

(जीएनएस)।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए जल्दी ही शुरू होने वाला है. जिसके बाद दोनों शहरों के बीच सफर बहुत तेज होकर करीब 35-45 मिनट का रह जाएगा. जानिए कितना लगेगा टोल? हाल ही में अभी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है और अब लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाने वाला है. इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसके शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर और भी तेज हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे लगभग 3700 करोड़ रुपये की लगात से बना है और यह 63 किलोमीटल लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे लखनऊ के अमौसी से कानपुर के आजाद चौक तक कनेक्ट करेगा. इस एक्सप्रेसवे की मदद से अब सफर का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा.

कितना होगा टोल रेट?

NHAI के इस एक्सप्रेसवे के लिए अलग-अलग गाड़ियों के टोल रेट तय किए गए हैं जैसे...

अगर बात करें कार, जीप और रवश - एक तरफ का 275 रुपये और वापसी (24 घंटे) 415 रुपये.

हल्के कमर्शियल गाड़ियां - एक तरफ का 445 रुपये और वापसी 670 रुपये.

बस और ट्रक - एक तरफ का 935 रुपये और वापसी 1405 रुपये.

भारी वहन(लउट) - एक तरफ का 1020 रुपये और वापसी का 1530 रुपये.

किन वाहनों को नहीं होगी अनुमति?

बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर सिर्फ चार पहिया और भारी गाड़ियां ही चलेंगी.

वहीं दो पहिया, तीन पहिया और छोटी गाड़ियों को अनुमति नहीं होगी, ताकि हाई-स्पीड ट्रैफिक सुरक्षित बना रहें.

कितनी देर में पूरा होगा सफर?

फिलहाल लखनऊ से कानपुर का सफर लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता है, लेकिन नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी सिर्फ 35 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी. इससे लोगों का काफी समय बचने वाला है. यह एक्सप्रेसवे लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है.

जरूरी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे की अधिकतम स्पीड 120 kmph तय की गई है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. अब बहुत ही जल्द लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने वाला है.

'कानून रक्षा के लिए, न कि...', थारू जनजाति के वन अधिकारों पर लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

(जीएनएस)।

लखनऊ हाईकोर्ट ने थारू जनजाति के वन अधिकारों के खिलाफ आए लखीमपुर खीरी जिला समिति के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि जब तक नया आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक याची अपने मौजूदा वन अधिकारों का उपयोग पहले की तरह करते रहेंगे. मामले के याची लखीमपुर खीरी के पलिया कला के थारू जनजाति से संबंधित हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है.

यूपी में थारू जनजाति के वन अधिकारों से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट है. लखनऊ हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी जिला समिति का आदेश रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है, तब तक वनवासियों के अधिकार बहाल रहेगा. हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के वन अधिकार मामले में जिला स्तरीय समिति के आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचियों के दावों पर सुनवाई कर समयबद्ध ढंग से नया आदेश पारित किया जाए. जब तक नया आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक याची अपने मौजूदा वन अधिकारों का उपयोग पहले की तरह करते रहेंगे.

5 साल पहले पहुंचे हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने ह्लउदासा व अन्य बनाम भारत संघह्व की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. मामले के याची लखीमपुर खीरी के पलिया कला के थारू जनजाति से संबंधित हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है. याचियों ने 15 मार्च 2021 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके सामुदायिक वन अधिकारों के दावों को खारिज कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने कहा कि जिला स्तरीय समिति ने वन अधिकार अधिनियम 2006 की मंशा और प्रावधानों पर समुचित विचार नहीं किया. केवल वर्ष 2000 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर फैसला दे दिया.

उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और उनकी आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसे वनवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना कानून का मूल उद्देश्य है. अदालत ने कहा कि याचियों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए और सभी तथ्यों, अभिलेख पर विचार करते हुए कारण युक्त आदेश पारित किया जाए.

लखनऊ में 500 वाहनों को खड़ा करने के लिए बनेगी हाईटेक पार्किंग, जगह भी हो गई फाइनल

(जीएनएस)।

लखनऊ। गोमती नगर के विवेक खंड दो में भूमिगत पार्किंग बनाने के लिए गोमती नगर जनकल्याण महासमिति ने प्रयास तेज कर दिए हैं। विवेक खंड दो में बनने वाली यह ऐसी भूमिगत पार्किंग होगी जो आधुनिक सुविधाओं से जहां लैस होगी, वहीं गोमती नगर के विवेक खंड दो व आसपास क्षेत्र का जाम पूरी तरह नियंत्रित करने में सहायक भी होगी। इसमें स्मार्ट व्हीकल गाइडेंस एंड नेविगेशन होगा।

आधुनिक सिक्योरिटी और सर्विलांस की सुविधा भी। आटोमेटेड पार्किंग के साथ ही वैलेट सिस्टम भी होगा। एसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रानिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा सहित अन्य सुविधाओं से यह परिसर लैस होगा।

खासबात है कि विवेक खंड दो स्थित लक्ष्मण मण्डपम के सामने स्थित पार्क में यह पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। महासमिति के महासचिव डा. राघवेंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रस्ताव बनकर तैयार है, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसे बनाना है। जल्द ही लोकार्पण इसका होना है।

इस प्रयास से पत्रकारपुरम से लेकर विवेक खंड दो, तीन, रेलवे स्टेशन, मिठाई वाला चौराहे के आसपास के व्यापारी व ग्राहक अपने चार पहिया वाहन खड़ा कर सकेंगे। भूमिगत पार्किंग में चार पहिया वाहन 410 खड़े हों सकेंगे और दो पहिया वाहन 84 खड़े हो जाएंगे। पार्किंग का कुल क्षेत्र 14,176 वर्ग फिट का होगा। यह अपर ग्राउंड व लोअर ग्राउंड में बनाई जाएगी।

महासिमित के अध्यक्ष प्रो (डा.) बीएन सिंह और सचिव संजय निगम कहते हैं कि गोमती नगर में सरकारी महिला डिग्री कालेज का स्थान तो है लेकिन डिग्री कालेज खुलवाने का प्रयास जारी है। महिला डिग्री कालेज में ही ला कालेज की स्थापना भी की जाएगी। उद्देश्य होगा कि छात्राओं को एक छत के नीचे उच्च शिक्षा मिल सके।

इसके अलावा गोमती नगर में रेलवे स्टेशन तो खुल गया है, इससे गोमती नगर, इंदिरा नगर, चिनहट, शहीद पथ सहित चार लाख से अधिक आबादी को लाभ मिल रहा है। भविष्य में मुंशी पुलिया तक जाने वाली मेट्रो को विस्तार देते हुए गोमती नगर से भी जोड़ने की जरूरत है।

निगम कहते हैं कि अगर यह सुविधा मिल जाए तो गोमती नगर भी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के साथ ही नए व पुराने लखनऊ से मेट्रो के जरिए गोमती नगर से जुड़ा जाएगा। लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी में केंद्र व प्रदेश सरकार कर रही है। पुराने लखनऊ में मेट्रो का विस्तार इसी की बानगी है।

समिति सदस्य कर्नल एएन पांडे व पीआर पांडे ने बताया कि विक्रांत खंड में जर्जर सड़कों एवं नालों के फिर से निर्माण को लेकर आवाज उठाई जा चुकी है। उम्मीद है कि कार्यदायी संस्थाएं जल्द ही इस दिशा में काम करेंगी।

महासमिति सदस्य केके मौर्य और सी गोपाल कृष्णन नायर ने बताया कि विनीत खंड पांच और छह में पुरानी सीवर पाइपलाइन को बदलना और विकास खंड पांच में जिम जैसे कार्य भी महासमिति की सूची में प्राथमिकता है। इन पर जल्द ही काम होगा।

लखनऊ अग्निकांडः बची हुई राख में जिन्दगी तलाश रहे मजदूर

पीड़ितों का आरोप है कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर करीब एक घंटे की देरी से पहुंचीं. तब तक आग की लपटें इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि 22 दमकल गाड़ियों को भी काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

(जीएनएस)।

लखनऊ के विकासनगर, सेक्टर-12 के पास बसी एक मजदूर बस्ती बुधवार की शाम मलबे और धुएं के ढेर में तब्दील हो गई. एक झोपड़ी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें 500 से अधिक परिवारों का आशियाना और उनकी जीवन भर की पूंजी खाक हो गई. आरोप है कि दमकल की गाड़ियां सूचना के एक घंटे बाद पहुंचीं. वहीं, झोपड़ियों में रखे सिलेंडरों के धमाकों ने पूरे इलाके को दहला दिया.

स्थानीय निवासियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और प्लास्टिक-तिरपाल से बनी झोपड़ियों के कारण आग ने मिनटों में पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया. बस्ती में रहने वाले पीड़ितों का सबसे बड़ा गुस्सा प्रशासन और दमकल विभाग पर है. पीड़ितों का आरोप है कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर करीब दो घंटे की देरी से पहुंचीं. तब तक आग की लपटें इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि 22 दमकल गाड़ियों को भी काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झोपड़ियों के अंदर रखे घरेलू गैस सिलेंडर एक के बाद एक बम की तरह फटने लगे. स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब 100 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ. इस भगदड़ में लोग अपनी जान बचाकर तो भाग निकले, लेकिन खूंटे से बंधे मवेशी आग का शिकार हो गए. मजदूरों का कहना है कि 50 से 60 मवेशी आग शिकार हुए हैं इसके अलावा कई बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है. हालांकि, प्रशासन ने अभी इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. केवल दो बच्चियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है.

न्यूजलॉन्ड्री से बात करते हुए पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा. बिहार के रहने वाले अनिल कुमार इस बस्ती में 30 साल से रह रहे थे. जमीन खरीदने के लिए उन्होंने साढ़े तीन लाख रूपए जमा करके रखे थे जो इस आग की चपेट में आ गए. अनिल आरोप लगते हुए कहते हैं, "यह आग लगाई गई है, लगी नहीं है."

यह आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है. लखनऊ के डीएम विशाख जी. अय्यर ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मामले की जांच मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सौंप दी है. लेकिन यह सवाल अब भी बरकरार है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे जमीन खाली कराने जैसी कोई बड़ी साजिश?

लखनऊ में नकली सोना गिरवी रखकर बैंक से लिया 7.14 लाख का लोन, जालसाज और वैल्यूवर पर एफआईआर

(जीएनएस)।

लखनऊ। नकली सोना गिरवी रखकर जालसाज ने बैंक आफ इंडिया से 7.14 लाख का लोन करा लिया। लोन से पहले बैंक के वैल्यूवर सराफ ने सोने के जेवर को 22 कैरेट का बताते हुए रिपोर्ट दी।

किस्त जमा न होने पर बैंक ने लोन धारक को नोटिस देने के बाद गिरवी जेवर की नीलामी का प्रक्रिया शुरू की। दूसरे वैल्यूवर ने जेवर की जांच की तो वह नकली मिले।

बैंक के शाखा प्रबंधक ने रहीमाबाद थाने में लोन धारक व वैल्यूवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

चौक के चढ़ाई माहू लाल निवासी अभिजीत शुक्ल बैंक आफ इंडिया गहदो शाखा के प्रबंधक हैं। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी 2023 को माल के करेंद निवासी संतोष कुमार ने 27 फरवरी 2023 को बैंक में गोल्ड लोन के लिए आवेदन किया था।

बैंक द्वारा सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद 7.14 लाख का लोन स्वीकृत कर दिया था। लोन के एवज में संतोष ने 185.038 ग्राम के जेवर व सिक्के गिरवी रखे थे। गिरवी जेवर की शुद्धता की जांच बैंक के अधिकृत वैल्यूवर सत्यम सोनी ने की थी।

आठ दिसंबर को दोबारा नोटिस भेजी गई लेकिन न भुगतान किया और न ही जवाब दिया गया। जिसके बाद बैंक द्वारा गिरवी जेवर को नीलाम करने की सूचना लोन धारक संतोष कुमार को दी। साथ ही बैंक ने गिरवी जेवर का पुनः मूल्यांकन कराया। अधिकृत वैल्यूवर अंकुर सोनी ने अपनी रिपोर्ट दी तो पता चला कि जेवर नकली हैं।

गैस एजेंसी से गायब हो गए 661 सिलिंडर, जांच टीम भी रह गई सन्न

लखनऊ की विहान इंडेन गैस एजेंसी में पूर्ति निरीक्षक की छापेमारी के दौरान स्टॉक से 661 एलपीजी सिलिंडर कम पाए गए। .

विहान इंडेन गैस एजेंसी से 661 सिलिंडर गायब मिले।

प्रोप्राइटर राहुल गंगवार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस।

पहले भी स्टॉक में कमी और रिकॉर्ड में हेरफेर पाया गया।

लखनऊ। (जीएनएस)। अलीगंज की शेखुपुरा स्थित विहान इंडेन गैस एजेंसी में पूर्ति निरीक्षक आरएन मिश्रा की छापेमारी में स्टाक से 661 सिलिंडर कम मिले। पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में एजेंसी के प्रोप्राइटर राहुल गंगवार के खिलाफ विकास नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

छापा मारा। टीम ने स्टाक मिलान किया तो बड़ा हेरफेर सामने आया। खाली सिलिंडर मिले।

एक भी भरा सिलिंडर नहीं था। एजेंसी के प्रोपराइटर पूछने पर संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। जांच में यह भी पता चला कि छह और सात अप्रैल को एजेंसी में मिले 702 सिलिंडर का रिकार्ड रजिस्टर में नहीं दर्ज था।

पूर्व में 23 मार्च को भी जांच की गई थी जिसमें 318 सिलिंडर कम मिले थे। एजेंसी संचालक को नोटिस दिया गया था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल विकास नगर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि 14 अप्रैल को आयल कम्पनी और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने एजेंसी पर स्टाक के मुताबिक 291 खाली और 384 भरे सिलिंडर एजेंसी के नाम पर दर्ज थे लेकिन मौके पर महज 22

लखनऊ का पुराना नाम क्या था, क्यों कहा जाता है नवाबों का शहर, यूपी की राजधानी का रोचक इतिहास

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पर क्या आप जानते हैं कि पहले इसका नाम कुछ और था। अभी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहां से जुड़ी कई प्रसिद्ध चीजों के बारे में परीक्षाओं और इंटरव्यू में सवाल घूमते दिख जाते हैं, इसलिए यहां इसके बारे में जानें। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की राजधानी लखनऊ का इतिहास इसे और भी खास बनाता है। लखनऊ का पुराना नाम कुछ और था और अभी इसकी पहचान नवाबों के शहर की है। अवध के नवाबों ने यहां कला, संस्कृति और वास्तुकला को नई पहचान दी थी।

समय के साथ लखनऊ यूपी की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी बना। आज यह शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, तहजीब और गंगा-जमुनी संस्कृति के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इसके बारे में जीके के सवाल-जवाब प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहां इसका इतिहास जानें।

लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह शहर अपनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। '४'ल्लङ्घ६.ल्लू.ल्ल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लखनऊ का पुराना नाम लखनपुरी था, जिसे भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण के सम्मान में रखा गया था। समय के साथ यह नाम बदलकर वर्तमान लखनऊ के रूप में जाना गया। लखनऊ अपने अदब, खानपान और वास्तुकला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। आज यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है जिसका देश के इतिहास में विशेष स्थान है।

लखनऊ का इतिहास क्या है?

ऐसा माना जाता है कि लखनऊ की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजवंश से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण के सम्मान में इसे पहले लखनपुरी कहा जाता था। शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित लक्ष्मण टीला इस कथा को विश्वसनीयता प्रदान करता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र कोसल के महाजनपद का हिस्सा था और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है।

इसलिए कहा जाता है 'नवाबों का शहर'

लखनऊ को 'नवाबों का शहर' कहा जाता है क्योंकि यहां नवाबी संस्कृति और शाही जीवन शैली बहुत प्रसिद्ध थी। अवध के नवाबों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में लखनऊ को भव्य राजधानी बनाया था। नवाब आसफ-उद-दौला और सादत अली खान के शासनकाल में शहर में कई महल, इमामबाड़े, कर्बला और अन्य स्मारक बनाए गए। यूरोपीय शैली और मुगल वास्तुकला के मिश्रण से लखनऊ को अनोखी शैली के लिए जाना जाता है। बड़े इमामबाड़ा, रूमी गेट और बिबियापुर कोठी जैसी इमारतें इसकी भव्यता का प्रतीक हैं।

नेत्र चिकित्सक भर्तीः लखनऊ हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्रों पर लगाई अंतरिम रोक

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नियमित नेत्र चिकित्सकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न जारी किए जाएं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों में संविदा कर्मियों को वरीयता देने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। साथ ही राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो मामले में उचित आदेश पारित किया जाएगा।

भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 'दिव्य भारतः भारत की आत्मा की एक झलक' नामक संकलन का शुभारंभ

(जीएनएस)।

नीति आयोग ने आज "दिव्य भारतः भारत की आत्मा की एक झलक" नामक एक संकलन का शुभारंभ किया, जो एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों और वैश्विक यात्रियों को एक संरचित और गहन दृष्टिकोण के माध्यम से भारत के विविध पर्यटन परिदृश्य का पता लगाने के लिए प्रेरित करना है।

इस संकलन का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने, नीति आयोग की सीईओ श्रीमती निधि छिब्बर; पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री भुवनेश कुमार; और नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री युगल जोशी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री सुमन बेरी ने कहा, ह्ममाननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप, पर्यटन विकास का एक प्रमुख वाहक है ह्व हर राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह एक विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करे और पर्यटकों के लंबे समय तक रुकने को बढ़ावा दे, विशेष रूप से घरेलू और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में। मेरे विचार से, केंद्र-राज्य सहयोग, आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण और बेहतर बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही, मैं भारत के पर्यटन क्षेत्र की घरेलू जागरूकता और वैश्विक अपील को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत मंच बनाने के प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा ह्व

दिव्य भारत को यात्रियों के लिए साल भर के साथी के रूप में तैयार किया गया है, जो भारत के पर्यटन

स्थलों को एक अनूठे मौसमी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, और पर्यटन स्थलों को महीनों के चक्र के साथ जोड़ता है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले प्रतिष्ठित स्थलों, विरासत स्थलों, सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, व्यंजनों और कम ज्ञात स्थलों के समृद्ध मिश्रण को एक साथ लाता है, जिससे एक अधिक समग्र और आकर्षक यात्रा अनुभव प्राप्त होता है।

भारत की यात्रा और सांस्कृतिक अन्वेषण की सुस्थापित परंपरा से प्रेरणा लेते हुए, यह संकलन देश में पर्यटन के बदलते स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। यह उन अनुभवात्मक यात्राओं के बढ़ते महत्व को उजागर करता है जो पारंपरिक दर्शनीय स्थलों से परे जाकर स्थानीय समुदायों, परंपराओं और जीवन शैली के साथ गहन जुड़ाव को प्रोत्साहित करती हैं।

यह संकलन न केवल यात्रियों के लिए एक मार्गदर्शिका है, बल्कि विभिन्न मौसमों और क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके संतुलित पर्यटन को बढ़ावा देने की एक पहल भी है। लोकप्रिय स्थलों के अलावा, यह कम ज्ञात आकर्षणों को भी उजागर करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन मिलता है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है और समुदाय की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

इस शुभारंभ कार्यक्रम में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें एआईआरबीएनबी, अतिथि फाउंडेशन, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (आईएसपीपी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (आईआईटीटीएम) और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमआई) शामिल थे। यह भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सरकार, उद्योग और ज्ञान भागीदारों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।

यह पहल भारत के उन निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाती है जिनके तहत पर्यटन को विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय पहचान के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के पर्यटन परिदृश्य का एक सुव्यवस्थित और सुलभ दृष्टिकोण प्रस्तुत करके, दिव्य भारत यात्रियों, नीति निमार्ताओं और हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करेगा।

व्यापक शोध और संकलन के माध्यम से विकसित इस संकलन का उद्देश्य लोगों को भारत भर में व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है ताकि वे नए स्थलों की खोज कर सकें और देश की विविधता का अधिक सार्थक तरीके से अनुभव कर सकें।

ह्लदिव्य भारतः भारत की आत्मा की एक झलकह्व नामक संकलन समावेशी विकास, सांस्कृतिक गौरव और सतत विकास के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एलडीए की सभी योजनाओं में ओटीएस के लिए कल से लगाएगा कैंप; भरें जाएंगे ऑनलाइन आवेदन फार्म, आरडब्लूए को हैंडओवर किया अनुभूति अपार्टमेंट

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल के माध्यम से ओटीएस की सूचना भेजी गई है.

लखनऊ : (जीएनएस)। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में 18 अप्रैल (शनिवार) से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू होगी. इसके लिए एलडीए में हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, जहां तैनात कर्मचारी मौके पर ही लोगों के ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे.

'कैंप में जाकर कर सकेंगे आवेदन' : योजना का लाभ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मिले, इसके लिए एलडीए अपनी सभी योजनाओं में कैंप भी लगाएगा. बकायेदार आवंटी इन कैंप में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे. ओटीएस के आवेदन में निचले स्तर से किसी भी तरह की गैर जरूरी आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई न हो, इसके लिए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलग से आदेश जारी किये हैं. जिसके तहत बिना उनकी स्वीकृति के ओटीएस के किसी भी आवेदन में आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

'बकायेदारों को भेजी गई सूचना' : उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लगभग चार हजार बकायेदार आवंटियों को चिन्हित किया गया है. इनमें आश्रयहीन, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी के अलावा अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों व मानचित्र के बकायेदार शामिल हैं. उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर एवं आईटी सेल के माध्यम से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल के माध्यम से ओटीएस की सूचना भेजी गई है.

'18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 चलेगी योजना' : उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक एकमुश्त समाधान योजना चलेगी.

इसमें लोगों की सहूलियत के लिए एलडीए कार्यालय स्थित सिंगल विंडो काउंटर पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां ओटीएस के लिए आने वाले सभी आवंटियों को पूरी जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.

यह योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों, सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखंडों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित सम्पत्तियों, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों व मानचित्रों के लिए खोली गई है. जिन लोगों पर समय से किश्तें जमा न करने की सूरत में दंड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें दंड ब्याज से छूट मिलेगी और लोग बकाया धनराशि जमा करके अपनी सम्पत्ति के मालिक बन सकेंगे.

योजना के खास फायदे : आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण होगा. इसके अलावा डिफाल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत मिलेगी. केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर से होगी. इसके अलावा ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर 03 प्रतिशत की छूट मिलेगी. ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में 06 माह में देना होगा. समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा.

एलडीए ने आरडब्ल्यूए को हैंडओवर किया अनुभूति अपार्टमेंट : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज योजना स्थित अनुभूति अपार्टमेंट नव गठित रेजीडेंट वेलफयर एसोसिएशन (RWA) को हैंडओवर कर दिया. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को आर.डब्ल्यू.ए के पदाधिकारियों को कार्यालय में आमंत्रित करके उन्हें हैंडओवर पत्र सौंपा. एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि अलीगंज योजना के सेक्टर- सीएस में सीतापुर रोड पर स्थित अनुभूति अपार्टमेंट का निर्माण वर्ष 2018 में पूर्ण हुआ था. निर्माण पूर्ण होने से लेकर अब तक अपार्टमेंट में अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा था। जिसके सम्बंध में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरक्षण कार्यों का हैंडओवर आरडब्ल्यूए के पक्ष में करने के निर्देश दिये गये थे. जिसके अनुपालन में अपार्टमेंट में रहने वाले आवंटियों के मध्य चुनाव कराकर अनुभूति अपार्टमेंट रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया.

शुक्रवार को उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष चौधरी अंतिमा देशवाल, सचिव राज कुमार जायसवाल को अपने कार्यालय में आमंत्रित करके हैंडओवर पत्र प्रदान किया. उपाध्यक्ष ने कहा कि आरडब्ल्यूए द्वारा अनुरक्षण कार्यों का हैंडओवर लेने से सोसाइटी में रहने वाले समस्त आवंटियों को बड़ा लाभ होगा. अपार्टमेंट में रहने वाले आवंटी वहां की समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके समझते हैं. ऐसे में अनुरक्षण कार्य आवंटियों द्वारा चुनी गई समिति द्वारा किये जाने से समस्याओं का तुरंत व प्रभावशाली तरीके से निराकरण होगा.

भारत ने वियना में आयोजित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में समुद्री सुरक्षा नेतृत्व को रेखांकित किया

(जीएनएस)।

भारत ने 14-16 अप्रैल, 2026 को ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस 2026 में अपनी भागीदारी के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अपने सशक्त नेतृत्व का प्रभावी प्रदर्शन किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता भी दोहराई।

अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला के नेतृत्व में तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल

ने भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनाई जा रही सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ये प्रयास एक सुदृढ़, समन्वित और लचीली समुद्री शासन व्यवस्था के निर्माण के प्रति भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2012 में स्थापित विश्व सीमा सुरक्षा कांग्रेस एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो सीमा प्रबंधन से जुड़ी उभरती चुनौतियों, अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर व्यापक विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करता है। यह मंच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाकर संवाद व सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

राजधानी में रियल एस्टेट के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा 5.78 करोड़ की संपत्ति कुर्क

लखनऊः (जीएनएस)। राजधानी में रियल एस्टेट के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 5 करोड़ 78 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है. पुलिस ने गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय समेत गिरोह के कई सदस्यों की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है. ओमेक्स सिटी में प्लॉट, अधूरा मकान और लग्जरी गाड़ियां भी कुर्क की गई हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से लोगों को प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था. कई जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर मोहनलालगंज और नगराम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय और गैंग सदस्य विनोद कुमार उपाध्याय, मदन राम, ओंकारनाथ पाण्डेय और सीमा उपाध्याय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह खुद को रियल एस्टेट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फर्जी या विवादित जमीन दिखाता था और रजिस्ट्री कराकर पैसा हड़प लेता था.

बाद में पीड़ितों को पता चलता था कि जमीन या तो मौजूद नहीं है या उस पर आरोपी का मालिकाना हक नहीं है. आरोप है कि गिरोह खास तौर पर सेना और अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों

को निशाना बनाता था. अदालत के आदेश पर ओमेक्स सिटी में प्लॉट, अधूरा मकान और टोयोटा इनोवा, मारुति स्विफ्ट व महिंद्रा बोलेरो समेत कुल 5.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई. पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

डीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि अभियुक्तगण गैंग बनाकर गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में संगठित अपराध, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग जैसे गंभीर अपराध कारित किए गए.

वर्ष 2020 से अब तक थाना मोहनलालगंज, पीजीआई, सरोजनीनगर, कैण्ट एवं आशियाना, जनपद लखनऊ में कुल 66 अभियोग पंजीकृत हैं जिसमें हत्या के प्रयास की भी घटना की गयी है जिसका अभियोग थाना पीजीआई में पंजीकृत है.

डीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि उनकी ड्यूटी संबंधी व्यस्तताओं के चलते वे केवल एक-दो बार ही भूमि का निरीक्षण कर पाते थे. इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त उन्हें कोई भी फर्जी या विवादित भूमि दिखाकर रजिस्ट्री करवा देता था. इस तरह अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से अनेक लोगों को धोखा देकर आर्थिक लाभ अर्जित किया है.

आईआईसीए ने आईएफएससीए अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

(जीएनएस)।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के सहयोग से, आईआईसीए ने मानेसर स्थित अपने परिसर में 13 से 18 अप्रैल 2026 तक आईएफएससीए के सहायक प्रबंधकों के लिए एक सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

20 फरवरी 2026 को गुजरात के गिफ्ट सिटी में श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईआईसीए, एवं श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएसए, के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान और ज्ञान साझेदारी के माध्यम से भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

वर्तमान में प्रारंभ किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईएफएससीए के अधिकारियों को कॉर्पोरेट कानूनों, शासन ढांचे, वित्तीय नियमों और सीमा पार लेनदेन की व्यापक समझ से लैस करके, इस सहयोग को क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आईआईसीए के महानिदेशक एवं सीईओ श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में आईएफएसए विनियमन के भविष्य और आगे की राह पर अपने विचार साझा किए। आईएफएसए की स्थापना के उद्देश्य की दूरदृष्टि पर बल देते हुए, उन्होंने कहा कि मात्र पांच वर्षों के कम समय में एक एकीकृत नियामक का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह भारत की नियामक दूरदर्शिता का प्रमाण है।

अपने संबोधन में श्री सिंह ने फिनटेक के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व का उल्लेख करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना में आईएफएससीए की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अधिकारियों को विकसित हो रहे वित्तीय तंत्र को प्रभावी ढंग से विनियमित और निर्देशित करने के लिए एसईबीआई और पीएफआरडीए जैसे प्राधिकरणों द्वारा शासित कानूनों सहित बहुआयामी नियामक ढांचों की गहन समझ विकसित करनी चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने प्रतिभागियों को संरचनात्मक और गहन शिक्षण के माध्यम से सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक समझ भी सुनिश्चित की जा सके।

कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. नीरज गुप्ता के स्वागत भाषण और डॉ. पायला नारायण राव द्वारा प्रशिक्षण की संरचना, उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों की जानकारी देते हुए विस्तृत कार्यक्रम अवलोकन के साथ हुआ।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्रतिभागी 16 और 17 अप्रैल 2026 को संसद प्राइड का दौरा भी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें संसदीय कार्यवाही और विधायी प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है, जिससे शासन और नियामक कामकाज के बारे में उनकी समझ समृद्ध हो सके।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रख्यात पेशेवरों और शिक्षाविदों द्वारा संचालित विशेषज्ञ सत्र शामिल हैं, जिनमें कॉर्पोरेट शासन, प्रतिभूति विनियम, कॉर्पोरेट वित्त, वित्तीय रिपोर्टिंग, सीमा पार दिवालियापन और आईएफएससी-विशिष्ट नियामक प्रारूप सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है।

यह पहल नियामक संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण और नीतिगत समर्थन के प्रति आईआईसीए की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करती है।

एनएलडीएसएल और महाराष्ट्र ने राज्य की रसद व्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) और महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटल बनाने के लिए 16 अप्रैल, 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस सहयोग से लॉजिस्टिक संचालन को सुव्यवस्थित करने में पारदर्शिता आने, राज्य सरकार के विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलने और वास्तविक समय के डेटा अंतर्दृष्टि के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा आयोजित एक संवादात्मक यूएलआईपी कार्यशाला के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें राज्य सरकार के 10 से अधिक विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह पहचानना था कि महाराष्ट्र में रसद संबंधी चुनौतियों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और छोटे निर्यातकों के लिए, यूएलआईपी का उपयोग करके पारदर्शिता में कैसे सुधार किया जा सकता है।

इस कार्यशाला में एनएलडीएसएल समय का डेटा पूरी लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में ट्रैकिंग, परिचालन दक्षता और निर्णय लेने में सुधार कर सकता है।

इस पहल का नेतृत्व अधिकारी, एनएलडीएसएल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री वैभव वाघमारे (आईएएस), अपर विकास आयुक्त, उद्योग निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार भी उपस्थित थे।

की प्रमुख डिजिटल पहलों - लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक, कोयला शक्ति - स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जो सभी यूएलआईपी द्वारा संचालित हैं। ये प्लेटफॉर्म दर्शाते हैं कि कैसे वास्तविक एनआईसीडीसी के सीईओ और एमडी तथा एनएलडीएसएल के अध्यक्ष श्री रजत कुमार सैनी (आईएएस) द्वारा किया जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाह (आईएएस), विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार और श्री तकायुकी कानो, मुख्य कार्यकारी

इस पहल के तहत एनएलडीएसएल महाराष्ट्र सरकार को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने में सहयोग देगा, जिससे राज्य के लॉजिस्टिक्स संचालन में अधिक पारदर्शिता आएगी। इस प्लेटफॉर्म से निर्णय लेने में तेजी आने और भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता व वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढने की उम्मीद है, जो 'विकसित भारत' के विजन का समर्थन करता है।

यूएलआईपी एक एकीकृत डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है, जो एपीआई-आधारित एकीकरण के माध्यम से कई सरकारी प्रणालियों से रसद संबंधी डेटा तक निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाता है। यह वर्तमान में 11 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 45 प्रणालियों को 137 एपीआई के माध्यम से जोड़ता है, जिसमें 2,000 से अधिक डेटा फील्ड शामिल हैं। इस इकोसिस्टम ने 240 से अधिक नवोन्मेषी अनुप्रयोगों के विकास को गति प्रदान की है, जिससे 300 करोड़ से अधिक एपीआई लेनदेन हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता और मजबूती को दर्शाते हैं।

एनआईसीडीसी स्मार्ट औद्योगिक शहरों और एकीकृत अवसंरचना के विकास के माध्यम से भारत के औद्योगिक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। 20 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों की सफलता के बाद एनआईसीडीसी को अब भव्य (भारत औद्योगिक विकास योजना) योजना को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। इस योजना के अंतर्गत 33,660 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ देश भर में 100 निवेश-तैयार, 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एनआईसीडीसी पीएम एमआईटीआरए मेगा टेक्सटाइल पार्क और इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी) जैसी प्रमुख पहलों को भी लागू कर रहा है।

एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल), एनआईसीडीसी की लॉजिस्टिक्स शाखा है, जो लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 30 दिसंबर, 2015 को स्थापित यह एनआईसीडीसी औद्योगिक विकास ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) और जापान की एनईसी कॉर्पोरेशन का एक संयुक्त उद्यम है।